

RTI / speed post

अवर सचिव
UNDER SECRETARY



उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/27/2016-17

25 मई, 2016

सेवा में

श्री गोपाल प्रसाद,
मकान नं. 210, गली नं. 3,
पन मोहल्ला निकट मोहन बाबा मंदिर,
मंडावली, दिल्ली-110092

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु महोदय,

उक्त संदर्भ में आपका दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के पत्र की एक प्रति श्री के. सलिल कुमार, अवर सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12 मई, 2016 का अंतरित पत्र इस सचिवालय में दिनांक 17 मई, 2016 को प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से आपने पत्र के बिन्दु संख्या 5 पर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि इस सचिवालय में नियमित आरक्षण रोस्टर बनाया गया है तथा सचिवालय में कोई बैकलॉग नहीं है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

प्रति सूचनार्थ:-

श्री के. सलिल कुमार, अवर सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

O/C

(महिताब सिंह)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
mahitab.singh@nic.in

6/6/0/6



सं. 43011/5-9/2016-स्थापना (आरक्षण-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 12.05.2016

सेवा में,

श्री गोपाल प्रसाद
मकान सं. 210, गली नं. 3, पल मोहल्ला
निकर मोहन बाबा मंदिर,
मंडावली, दिल्ली-110092

विषय: जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गयी सूचना के संबंध में।

संदर्भ: DoP&T/R/2016/02673 दिनांक 05.05.2016।

महोदय,

कृपया जनसूचना अधिकार पत्र दिनांक 18.04.2016 (05.05.2016 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। आपके जनसूचना अधिकार पत्र के बिन्दु सं. 5 के संबंध में, आपके पत्र को केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सीधे आपको सूचना प्रदान करने हेतु जनसूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तान्तरित किया जा रहा है।

2. अपील यदि कोई, श्री जी. श्रीनिवासन, उप सचिव व प्रथम अपिलेट प्राधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के अंदर की जा सकती है।

भवदीय,

(के. सलिल कुमार)

अवर सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी

दूरभाष: 23099307

23/5

23/5

प्रतिलिपि: केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (आरटीआई प्रकोष्ठ), केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, अनुरोध के साथ कि अभ्यर्थी को सीधे सूचना प्रदान किया जाए। श्री गोपाल प्रसाद के जनसूचना अधिकार पत्र दिनांक 18.04.2016 कि प्रति संलग्न है।

सं-4 (78)/016 आर टी आई / 1-051

33
5/5/16

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
आर टी आई कक्ष

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 28/4/016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन-पत्र ।

इस विभाग को श्री/श्रीमति/सुश्री गोपाल पुसाद का दिनांक 21/4/016 का आवेदन पत्र अंतरण द्वारा — से प्राप्त हुआ है (दिनांक 27/4/016 को प्राप्त)। चूंकि आवेदन की विषय-वस्तु DEPT मंत्रालय/विभाग से संबंधित है, अतः उक्त आवेदन को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अधीन संबंधित लोक प्राधिकारी — को अंतरित किया जाता है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषयवस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है तो आवेदक को सूचित किए जाने के पश्चात आवेदन को सीधे लोक प्राधिकारी को अंतरित किया जा सकता है।

2. सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक ने रु 10/- की निर्धारित फीस जमा कर दी है/दावा किया है कि वह गरीबी रेखा से नीचे है इसलिए फीस जमा नहीं की है।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय

[Signature]

(एस के चिटकारे)

उप सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सेवा में,

श्री EPFO,
Mo- DEPT
North Block, New Delhi

प्रतिलिपि प्रेषित :-

श्री/श्रीमति/सुश्री गोपाल पुसाद
(आर.टी.आई. आर.टी.आई. क. नं. - 210,
गली नं-3, पाली महल, लोक अखिल
मंदिर, मंडावली, दिल्ली-92

आवेदक से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

① Sh. Debabrata Das ⑤ M/o Social Justice & Empowerment
US (S&H. Res.1)

② MHA

~~③ M/o Social Justice & Empowerment~~

④ Sh. K. Salil Kr.
US (Res. 57)

① 02671/RTIC/2016
5/5/16